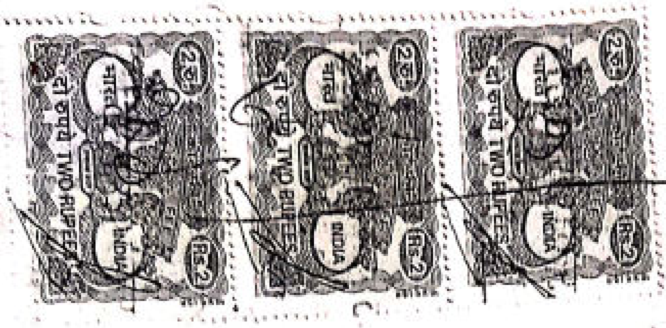

3 = 6.00

29/3/19

No 184

नकल आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी पट्टी प्रतापगढ़ दि० 29 3/19

[illegible] -

वाद संख्या — T201902570401117

सरस्वती सिंह शिक्षा एवं समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०रा०सं० 2006 ग्राम

रमगढ़ा प० त० पट्टी जिला प्रतापगढ़

प्रमाणित प्रति संलग्न है

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :पट्टी
वाद संख्या :-01117/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902570401117
सूरसती सिंह शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सूरसती सिंह शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट ग्राम रमगढ़ा पट्टी ~~निवासी रमगढ़ा द्वारा इस आशय~~ प्रतापगढ प्रबन्धक ~~काशी प्रसाद सिंह सुत रामभूरत सिंह~~ से प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा ग्राम रमगढा परगना व तहसील पट्टी प्रतापगढ की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 को अकृषिक घोषित कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें नियमानुसार तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार पट्टी द्वारा आख्या दिनांक 19.03.2019 प्रस्तुत होने के उपरांत आदेश दिनांक 28.03.2019 पारित कर ग्राम रमगढा परगना व तहसील पट्टी प्रतापगढ की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 को अकृषिक घोषित किया गया किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश खसरा संख्या 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0 अंकित होने से छूट गया। जिसे संशोधित किये जाने की याचना की गई है।

वादी के प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा मूल वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 28.03.2019 पारित करते समय लिपिकीय त्रुटिवश खसरा संख्या 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0 अंकित होने से छूट गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। आदेश को संशोधित किये जाने से आदेश का सारवान भाग प्रभावित नहीं होता है, आदेश संशोधन किया जाना विधिसंगत पाया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिनांक 28.03.2019 को संशोधित करते हुए ग्राम रमगढा परगना व तहसील पट्टी प्रतापगढ की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 के साथ 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0 अंकित किया जाता है। परवाना अमलदरामद निर्गत हो। आदेश के अनुपालन के उपरांत पत्रावली संचित अभिलेखागार की जाय।

29/03/19
(विनोद कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
पट्टी प्रतापगढ़।

आज उक्त निर्णय व आदेश, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में मुद्रांकित, दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित किया गया।

29/03/19
(विनोद कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
पट्टी प्रतापगढ़।

प्रमाणित
(शीडर)
SDO (P)
29.3.19

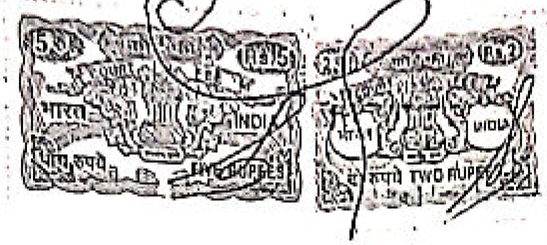

2 = 7.00

1 / 20/3/19 No. 169

नकल आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी पट्टी प्रतापगढ़ दि० 20-3/19

मुकदमा -

वाद संख्या — T201902570401117

सरस्वती सिंह शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 80 उ० प्र० रा० सं० 2006 ग्राम
रमगढ़ा, प० पट्टी प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :पट्टी
वाद सख्या :-01117/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201902570401117
सुरसती सिंह शिक्षण एव समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

सूरसती सिंह शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट ग्राम रमगढा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा–80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम रमगढा परगना व तहसील पट्टी जनपद–प्रतापगढ की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 में खेती नहीं की जा रही है तथा शैक्षणिक कार्य एवं खेल कूद में उपयोग हो रहा है। अतएव इसे अकृषिक घोषित किया जाय। जिसके संबन्ध में भारतीय स्टेट बैंक शाखा पट्टी में चालान सं0 01 दिनांक 26.03.2019 मु0 1000 व दिनांक 28.03.2019 चलान संख्या 01 मु0 4000रू0 शुल्क जमा कोष है तथा न्याय शुल्क मु0 53000रू0 का स्टाम्प अदा किया गया।

प्रकरण की जांच तहसीलदार पट्टी से करायी गयी जिन्होंने अपनी आख्या दिनांक 19.03.2019 में अंकित किया है कि ग्राम– रमगढ़ा की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 में कृषि कार्य नहीं होता है तथा स्थल पर 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0 में विद्यालय का भवन बना है तथा शेष भूमि बाउन्ड्रीवाल से आच्छादित है, जो शैक्षणिक कार्य एवं खेलकूद में उपयोग हो रहा है। आवेदक द्वारा यह भूमि विक्रयपत्र के आधार पर प्राप्त की गयी है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के हस्ताक्षरयुक्त उ0प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 नियमावली नियम–135 की आख्या भी संलग्न है। आवेदक/लेखपाल द्वारा विवादित स्थल का छायांकन भी प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम– रसगढा परगना व तहसील पट्टी प्रतापगढ़ की खाता खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली के खाता सं0 308 की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0 तथा खाता संख्या 60 की खसरा संख्या 225ख क्षेत्रफल 0.278हे0 तथा खाता संख्या 309 की खसरा सं0 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0 पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी के अन्तर्गत सहखातेदार के रुप में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार संक्रमणीय भूमि के खाते में अंकित रही है। खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार खसरा संख्या खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ग क्षेत्रफल 0.162हे0, 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0, 225खमि0 क्षेत्रफल 0.278हे0 में कृषि से इतर प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है। वादी द्वारा भूमि को व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है, व्यावसायिक भूमि के दृष्टिगत उपनिबन्धक पट्टी से आख्या प्राप्त की गई। उपनिबन्धक पट्टी द्वारा भूमि का मूल्यांकन 5300000रु0 किया गया जिसका एक प्रतिशत धनराशि 53000रु0 भारतीय स्टेट बैंक शाखा पट्टी में चालान सं0 2302/01/सी0927824 दिनांक 26.03.2019 में जमाकोष किया गया है। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय । उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ़,तहसील :पट्टी
वाद संख्या :-01117/2019
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902570401117
सरसती सिंह शिक्षण एवं समाज कल्याण ट्रस्ट बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः ग्राम– रमगढा परगना व तहसील पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ की वर्तमान खाता सं0 308 की खसरा संख्या 177क क्षेत्रफल 0.163हे0, 177ख क्षेत्रफल 0.163हे0 तथा खाता संख्या 60 की खसरा संख्या 225ख क्षेत्रफल 0.278हे0 तथा खाता संख्या 309 की खसरा सं0 176मि0 क्षेत्रफल 0.234हे0के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पट्टी की आख्या दि0 19.03.2019 व लेखपाल का स्थलीय अनुकृति आदेश का अंग होगा। किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। तद्नुसार परवाना अमलदरामद (आदेशपत्रक) निर्गत हो। जिसकी प्रति नियम 137 के अधीन अनुपालन हेतु उप निबंधक पट्टी को भी भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार निक्षेपित की जाय।

28/03/19
(विनोद कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी
पट्टी प्रतापगढ़।

आज उक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में मुद्रांकित, दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

28/03/19
(विनोद कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी
पट्टी प्रतापगढ़।

प्रमाणित
(शोज़ब)
SDO(P)
20/3/19

No. of Application 169
Date of Application 20/3/19
Date of Preparation 20/3/19
Date of Issu 20/3/19
Stamp 7-

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner